मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति
एवं
कार्य योजना, 1988

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं कार्य योजना, 1988

मध्यप्रदेश शासन राज्य के औद्योगिक विकास को बहुत महत्व देता है। औद्योगिक विकास से राज्य की आर्थिक उन्नति की गति बढ़ेगी तथा लोगों के रहन-सहन के स्तर में सुधार होगा। इससे लाभप्रद रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे, विशेषकर समाज के गरीब तबके के लोगों के लिए। औद्योगिक विकास के माध्यम से राज्य में उपलब्ध विभिन्न संसाधनों उदाहरणार्थ कृषि एवं खनिज संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सकेगा। साथ ही राज्य के कृषकों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेगा एवं कृषि निविष्टि की उपलब्धता बढ़ेगी। बढ़ते हुए औद्योगीकरण से राज्य को अतिरिक्त आय के स्त्रोत भी उपलब्ध हो सकेंगे जो प्रदेश की अन्य कल्याणकारी योजनाओं की पूर्ति में सहायक होंगे।

राज्य शासन द्वारा छठी पंचवर्षीय योजनाकाल में औद्योगीकरण की गति बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए, जिनके उत्साहवर्द्धक परिणाम प्राप्त हुए। वर्ष 1981-82 से 1985-86 की अवधि में राज्य में औद्योगिक विकास की दर बहुत अच्छी रही एवं देश के प्रथम तीन राज्यों में इसका स्थान रहा फिर भी हमारा राज्य औद्योगीकरण की दृष्टि से अभी पिछड़ा हुआ है। अतः इसे देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों के समकक्ष लाने के लिए सघन प्रयास करने होंगे।

हमारा राज्य कतिपय ऐसे प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है जो विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोगी हो सकते हैं। इसके साथ-साथ यहां औद्योगिक शांति है और औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक विद्युत् प्रदाय की स्थिति भी अन्य प्रदेशों की तुलना में अपेक्षाकृत संतोषप्रद है। लेकिन दूसरी ओर राज्य में बुनियादी सुविधाओं, संचार एवं यातायात व्यवस्था तथा उद्यमता की कमी का अनुभव किया जाता रहा है। प्रदेश में औद्योगीकरण की गति तेज करने, उक्त कठिनाईयों को दूर करने और राज्य में उपलब्ध संसाधनों का समुचित दोहन करने के लिए एक प्रगतिशील नीति एवं कार्य योजना की आवश्यकता महसूस की गई है।

गत वर्षों में हुए औद्योगिक विकास का शासन द्वारा पुनरावलोकन किया जाकर उसे गतिशील बनाने के लिए समग्र रूप से विचार-विमर्श के उपरान्त एक नीति एवं कार्य-योजना तैयार की गई है। इसे तैयार करने के पूर्व विभिन्न स्तरों पर सभी श्रेणी के उद्योगपतियों, शिल्पियों, बुनकरों, परम्परागत रूप से कार्य करने वाले कारीगरों तथा व्यवसायियों व उनकी संस्थाओं से विस्तार में चर्चा की गई। इन चर्चाओं में प्राप्त सुझावों पर राज्य शासन द्वारा गहराई से विचार किया जाकर राज्य की वित्तीय सीमाओं को दृष्टिगत रखकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इन निर्णयों में प्रशासनिक व विकास के लिए उत्तरदायी मशीनरी को अधिक सुव्यवस्थित बनाने, अधो-संरचनात्मक आधार को सुदृढ़ करने, उद्यमता विकसित करने, तकनीकी कुशलता बढ़ाने, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करने, विद्युत् की सुलभ उपलब्धि, कराधान नीति को और आकर्षक बनाने आदि के निर्णय सम्मिलित हैं। शासन द्वारा विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेते समय निम्न बातों पर विशेष ध्यान रखा गया है:—

(1) औद्योगीकरण के माध्यम से नये रोजगार के लाभप्रद अवसर उत्पन्न हों, विशेषकर समाज के कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए।

(2) प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का संतुलित विकास हो, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों का।

(3) कुटीर उद्योगों, जैसे खादी ग्रामोद्योग, हाथकरघा, हस्तशिल्प एवं चर्म शिल्प उद्योगों को संरक्षण देते हुए उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ उनका विकास हो। साथ में कुटीर तथा लघु उद्योगों एवं बड़े उद्योगों का संतुलित विकास हो जिससे दोनों क्षेत्र एक-दूसरे के पूरक हों।

(4) राज्य के स्थानीय उद्यमी प्रोत्साहित हों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों को विशेष सहायता प्राप्त हो।

(5) स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग प्रदेश में ही उद्योग स्थापित करने के लिए हो।

(6) पूर्ण विकसित अधोसंरचना की सुविधाएं उपलब्ध हों जिससे उद्योगों की स्थापना के साथ-साथ उनकी उत्पादकता में वृद्धि भी हो सके।

(7) प्रदेश उद्योगों की स्थापना की दृष्टि से एक आकर्षक स्थान बन सके, इस हेतु आकर्षक सुविधाओं के साथ-साथ करों के ढांचे को युक्तिसंगत बनाया जाय एवं विभिन्न सुविधाओं की प्राप्ति की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाय।

(8) औद्योगीकरण के लिए उत्तरदायी प्रशासकीय एवं विकासात्मक तंत्र को और अधिक सक्रिय बनाया जावे एवं निर्णय प्रक्रिया में तत्परता लायी जाये।

(9) ऐसे उद्योग जिनके विकास की विशेष संभावनायें हैं अथवा जिनके माध्यम से प्रदेश के आर्थिक विकास में गति आ सकती हो, उनके विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाय।

राज्य शासन का विश्वास है कि इस नीति एवं कार्य योजना के फलस्वरूप राज्य में औद्योगीकरण का वातावरण सुधरेगा, राज्य की औद्योगिक उन्नति को गति प्राप्त होगी एवं आम जनता को लाभ मिलेगा। विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय नीचे दर्शाये गये हैं।

1. कुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों का विकास:

1.1 एक हजार अथवा उससे अधिक आबादी वाले ग्रामों को वर्ष 1988-89 से प्रारंभ कर एक निश्चित अवधि में कम से कम 5 नये ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग स्थापित कराये जाने का प्रयास किया जावेगा।

1.2 कुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों के सघन विकास के लिये आगामी 2 वर्ष में खादी एवं ग्रामोद्योग, हाथ करघा, हस्तशिल्प, चर्मशिल्प उद्योगों के क्षेत्र में 5,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जावेगा।

1.3 मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद् द्वारा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण उद्योगों के सघन विकास के लिये व्यापक पैमाने पर कार्यक्रम हाथ में लिये जावेंगे। परम्परागत उद्योगों के साथ-साथ परिषद् द्वारा उच्च तकनीक वाले उद्योगों जैसे इलेक्ट्रानिक्स का विकास भी अर्द्ध नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में किया जावेगा। परम्परागत उद्योगों में भी आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जावेगा जिससे उत्पादन बढ़े और इन उद्योगों में लगे लोगों की आय में वृद्धि हो सके।

1.4 मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद् द्वारा ग्रामीण उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त कर प्रदाय किया जावेगा तथा उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन की व्यवस्था भी की जावेगी।

1.5 ग्रामीण उद्योगों के अपेक्षानुसार विकास एवं प्रसार के लिये, खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद् द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन तथा नाबार्ड से अधिक से अधिक राशि प्राप्त करने का प्रयास किया जावेगा।

1.6 खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद् द्वारा स्वयं की योजनाओं के अतिरिक्त इन उद्योगों के विकास में लगी अन्य संस्थाओं को भी सहायता एवं प्रोत्साहन दिया जावेगा।

1.7 रंगाई एवं हाथ छपायी उद्योग के समुचित विकास के लिये यथा संभव अब किसी भी संस्था द्वारा रंगाई एवं छपायी का कार्य प्रदेश के बाहर से नहीं कराया जावेगा। प्रदेश में ही नई प्रौद्योगिकी तथा डिजाईनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जावेगा।

1.8 हाथ करघा उद्योग का सघन विकास किया जावेगा जिससे विशेषकर ग्रामीण अंचलों में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। बुनकरों को नियमित रूप से उचित मूल्यों पर सूत का प्रदाय किया जावेगा। इसके लिये उपयुक्त स्थानों पर नई सूत कताई मिलें लगवाने का भी प्रयास किया जावेगा।

1.9 प्रत्येक जिले के सुनियोजित औद्योगिक विकास के लिये एक जिला औद्योगिक योजना (डिस्ट्रिक्ट इण्डस्ट्रीज प्लान) तैयार किया जावेगा।

1.10 ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े ग्रामों तथा अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के उद्योग तथा व्यवसाय चलाने हेतु स्थान उपलब्ध कराने का प्रयास किया जावेगा। यह कार्य केन्द्रीय सहकारी बैंक, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, चर्मशिल्प निगम, अंत्यव्यवसायी निगम इत्यादि के सहयोग से क्रियान्वित किया जावेगा।

1.11 शासन का यह प्रयास होगा कि 31 मार्च 1990 तक औद्योगिक क्षेत्र से एक लाख से अधिक लोग प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हों।

2. लघु तथा सहायक उद्योगों के विकास को और अधिक गतिशील करना:

2.1 प्रदेश के विभिन्न अंचलों में आगामी कुछ वर्षों में लगभग 25,000 (पच्चीस हजार) लघु तथा कुटीर उद्योग प्रति वर्ष स्थापित कराये जावेंगे।

2.2 प्रदेश में स्थापित तथा भविष्य में नये लगने वाले बड़े उद्योगों के लिये सहायक उद्योगों का चयन किया जाकर उनकी वृहत् पैमाने पर स्थापना करायी जावेगी। वर्ष 1988-89 से प्रारंभ होकर आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग एक हजार सहायक उद्योग स्थापित कराये जावेंगे।

2.3 लघु उद्योगों को अस्थायी पंजीयन प्रमाण-पत्र अब प्रारम्भ में ही एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष की अवधि के लिये दिया जावेगा।

2.4 लघु उद्योगों को अधिक से अधिक कच्चामाल उपलब्ध कराने की दृष्टि से मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा और अधिक दुर्लभ एवं नियंत्रित कच्चेमाल प्राप्त कर उन्हें उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराये जावेंगे। निगम जहां आवश्यक होगा, नये कच्चामाल भण्डार भी खोलेगा।

2.5 मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा प्रदेश में लघु उद्योगों के विकास के लिये वर्तमान कार्यों के साथ-साथ अन्य विकासात्मक कार्य भी किये जावेंगे।

2.6 प्रदेश में स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उद्योगों द्वारा निर्मित सामान तथा उनके बाई-प्रोडक्ट्स की कुछ मात्रा प्रदेश के उद्योगों के उपयोग हेतु आरक्षित करवाने के लिये प्रयास किये जावेंगे।

2.7 महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में और अधिक टूलिंग तथा टेस्टिंग की सुविधायें निर्मित की जावेंगी।

2.8 उद्यमियों को उद्योगों की स्थापना करने तथा उनके संचालन में यथा समय तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने की दृष्टि से, प्रदेश में लघु उद्योग सेवा संस्थान की और शाखायें खुलवाने के प्रयास किये जावेंगे।

2.9 लघु उद्योगों के विकास के लिये उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन की वर्तमान व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाया जावेगा। मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा डी. जी. एस. एण्ड डी. के अनुरूप रेट कांट्रेक्ट की प्रणाली बनायी जावेगी जो शासकीय विभागों पर लागू होगी। लघु उद्योग इकाइयों को उनके द्वारा प्रदाय माल के शीघ्र भुगतान की व्यवस्था भी की जावेगी तथा उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये आवश्यक कदम उठाये जावेंगे।

2.10 आंतरिक व्यापार तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश में एक ट्रेड सेंटर की स्थापना की जावेगी।

2.11 प्रदेश में निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से एक "ड्राई पोर्ट" बनवाने का प्रयास किया जावेगा।

2.12 प्रदेश में व्यापार के प्रोत्साहन हेतु मध्यप्रदेश व्यापार मेला प्राधिकरण बनाने पर विचार किया जावेगा।

3. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, महिला उद्यमियों तथा स्थानीय उद्यमियों के विकास हेतु विशेष प्रयासः

3.1 शासन का यह प्रयास होगा कि प्रदेश के औद्योगीकरण में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की भी पर्याप्त भागीदारी रहे। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिये कुछ विशेष सुविधायें भी दी जावेंगी। पूंजी लागत अनुदान योजनान्तर्गत नियमानुसार जो पात्रता होगी, उसके अतिरिक्त 10% और राशि उक्त श्रेणी के उद्यमियों को दी जावेगी।

3.2 ऐसे नये उद्योग जिनमें पचास अथवा उससे अधिक नियमित कर्मचारी हों, द्वारा उनकी कुल रोजगार क्षमता का कम से कम पैंतीस प्रतिशत नियमित रोजगार मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मूल निवासियों को कम से कम दो वर्ष तक दिया जाता है तो उन्हें नियमानुसार पात्रता के अलावा पांच प्रतिशत अतिरिक्त पूंजी लागत अनुदान दिया जावेगा।

3.3 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिये अतिरिक्त प्रशिक्षण केन्द्र खोले जावेंगे जिससे कि वे उद्योग लगाने के लिये अग्रसर हो सकें।

3.4 अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को उद्योगों की स्थापना करने के लिये प्रेरित करने की दृष्टि से प्रदेश में एक उद्यमी विकास संस्था बनायी जावेगी।

3.5 महिला उद्यमियों को उद्योगों के क्षेत्र में आकर्षित करने के लिये उन्हें विशेष सुविधायें दी जावेंगी।

4. मध्यम तथा बृहत् उद्योगों का विकासः

4.1 प्रदेश में एक निश्चित अवधि में 350 बृहत् एवं मध्यम श्रेणी के उद्योग स्थापित कराने का कार्यक्रम बनाया जावेगा।

4.2 मध्यम उद्योगों के विकास में गति लाने की दृष्टि से भारत शासन के डी. जी. टी. डी. का कार्यालय भोपाल में खुलवाने का प्रयास किया जावेगा।

4.3 प्रदेश में बृहत् एवं मध्यम उद्योगों के विकास के लिये स्थानीय उद्यमियों तथा अप्रवासी भारतीयों आदि को एक ही स्थान पर सभी सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम की एक सहायक संस्था "औद्योगिक सहायता केन्द्र" के नाम से बनायी जावेगी।

4.4 बृहत् एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना में उद्योगपतियों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाईयों के निराकरण के लिये राज्य स्तर पर उद्योग सचिव की अध्यक्षता में "औद्योगिक सहायता ग्रुप" बनाया जावेगा। इस ग्रुप की बैठक प्रत्येक माह में आयोजित की जावेगी। इस बैठक में उद्योगपतियों की समस्याओं पर विचार कर उनके निदान हेतु उपयुक्त निर्णय लिये जावेंगे। उद्योगपतियों को उनके प्रकरण इस समिति के समक्ष रखने का अवसर दिया जावेगा।

4.5 प्रदेश में स्थापित बड़े तथा मध्यम उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन में राज्य शासन के विभागों द्वारा प्राथमिकता देने की योजना बनायी जावेगी।

4.6 उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जावेगा। यदि श्रमिकों की सहकारी समितियां कुछ बीमार मिलों को लाभप्रद रूप से चलाने की इच्छा व्यक्त करती हैं तो उन्हें पूरा सहयोग दिया जावेगा।

4.7 प्रदेश में उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी तथा इंजीनियरिंग की शिक्षा में परिवर्तन किया जावेगा और नये-नये कोर्सेस प्रारम्भ किये जावेंगे।

4.8 सोयाबीन उद्योग द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाईयों का हल सुझाने, सोयाबीन के उत्पादन में वृद्धि करने तथा वैकल्पिक कच्चे माल के उपयोग आदि पर सुझाव देने के लिये एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जावेगा।

4.9 वन सम्पदा पर आधारित विद्यमान उद्योगों को कच्चे माल के प्रदाय की स्थिति सुधारने के लिये, वन विभाग द्वारा कच्चे माल की उपलब्धि का उद्योग विभाग के साथ पुनर्आंकलन किया जावेगा। ऐसे उद्योगों को आयातित कच्चा माल प्रदाय करने की संभावना का भी पता लगाया जावेगा।

5. चयनित महत्वपूर्ण उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान:

5.1 प्रदेश में इलैक्ट्रानिक्स उद्योग के बड़े पैमाने पर विकास करने पर विशेष ध्यान दिया जावेगा।

5.2 मध्यप्रदेश इलैक्ट्रानिक्स डेव्लपमेंट कार्पोरेशन, प्रदेश में इलैक्ट्रानिक्स उद्योगों के समुचित विकास के लिये "नोडल एजेंसी" के रूप में कार्य करेगा। उद्यमियों को मार्गदर्शन देने तथा नये प्रोजेक्ट्स के संबंध में तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने की दृष्टि से निगम में एक विशेष प्रकोष्ठ खोला जावेगा।

5.3 प्रदेश के आर्थिक विकास के लिये कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों (थ्रस्ट सेक्टर इण्डस्ट्रीज) के उत्पादों पर विक्रय कर की दरों को आकर्षित बनाया जावेगा।

5.4 परदेशीपुरा (इन्दौर) में इलैक्ट्रानिक्स उद्योग के लिये विकसित किये जा रहे औद्योगिक संस्थान में उद्योगों के विकास का कार्य मध्यप्रदेश इलैक्ट्रानिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन को सौंपा जावेगा।

5.5 खनिज एवं कृषि पर आधारित उद्योगों तथा फूड प्रोसेसिंग उद्योगों को बड़े पैमाने पर विकसित करने के लिये उपाय सुझाने हेतु विशेष दलों का गठन किया जावेगा।

5.6 अप्रवासी भारतीयों द्वारा प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना किये जाने के लिये एक कार्य योजना बनायी जावेगी।

6. पूर्ण विकसित अधोसंरचना की सुविधा उपलब्ध करानाः

6.1 प्रदेश में औद्योगिक अधोसंरचना के समुचित एवं तीव्र विकास हेतु एक औद्योगिक अधोसंरचना विकास निगम का गठन किया जावेगा। वर्तमान में कार्यरत औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों को उक्त निगम की सहायक कम्पनी अथवा क्षेत्रीय कार्यालय बनाया जावेगा।

6.2 औद्योगिक विकास केन्द्रों/औद्योगिक क्षेत्रों में संधारण तथा अन्य आवश्यक सुविधायें जैसे बिजली, पानी तथा सफाई आदि की विधिवत नियमित व्यवस्था के लिये महत्वपूर्ण स्थानों पर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाये जावेंगे। विकास प्राधिकरण तथा अधोसंरचना का विकास करने वाली संस्था के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से संबंधित औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के प्रबंध संचालक अथवा क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य अधिकारी विकास प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होंगे।

6.3 लघु उद्योगों के विकास में गति लाने की दृष्टि से अधोसंरचना विकसित करने वाली संस्थाओं द्वारा उपयुक्त औद्योगिक विकास केन्द्रों/औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक संस्थानों में शेड्स निर्मित किये जावेंगे जो पूर्ण भुगतान करने अथवा भाड़ा क्रय पद्धति पर यांत्रिकी एवं विज्ञान स्नातकों को उपलब्ध कराये जावेंगे।

6.4 औद्योगिक विकास केन्द्रों की सीमा के 3 से 5 किलोमीटर की परिधि में भूमि के उपयोग के परिवर्तन करने की अनुमति उद्योग आयुक्त, प्रबंध संचालक, म. प्र. औद्योगिक विकास निगम तथा संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश की एक समिति के परामर्श के उपरांत ही दी जावेगी जिससे कि अनायोजित विकास को रोका जा सके।

6.5 नगर भूमि सीमा अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रों/ विकास केन्द्रों को उक्त अधिनियम के प्रावधानों से छूट देने पर विचार किया जावेगा। उक्त अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों को छूट देने के उद्योग आयुक्त के अधिकारों में 5 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर तक वृद्धि की जावेगी।

6.6 औद्योगिक विकास केन्द्रों के आस-पास सामाजिक अधोसंरचना जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा संचार साधनों आदि का विकास भी सम्बन्धित विभागों द्वारा उनके बजट में प्रावधान कर, किया जावेगा।

6.7 लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास के लिये भी उपयुक्त स्थानों पर छोटे-छोटे औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक संस्थान बनाये जावेंगे।

6.8 औद्योगिक क्षेत्रों/संस्थानों/विकास केन्द्रों में विद्यमान उद्योगों को विस्तार करने के लिये उन्हें ऊपरी मंजिल निर्मित करने की अनुमति नियमानुसार दी जा सकेगी।

7. उद्योगों के लिये वर्तमान कराधान नीति तथा वित्तीय सुविधाओं को और अधिक युक्तिसंगत बनानाः

7.1 इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये कि प्रदेश के उद्योगों को अन्य राज्यों के उद्योग की तुलना में कराधान की उच्च दरों के कारण हानि न उठाना पड़े, प्रदेश में कराधान की वर्तमान दरों की समीक्षा करने और उन्हें युक्तिसंगत बनाने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति गठित की जावेगी। यह समिति समय-समय पर कराधान की दरों की समीक्षा कर उन्हें युक्तिसंगत बनाने के लिये अनुशंसा करेगी।

7.2 उच्च तकनीक (हाई टेक) तथा हाई वैल्यू ऐडेड लघु उद्योगों, जिनमें स्थायी लागत पूंजी रुपये 10 लाख तक हो, के प्रकरणों में उनके पूंजी निवेश के 90% राशि तक विक्रय कर की मुक्ति/आस्थगन सुविधा की सीमा समाप्त कर उन्हें भी अन्य उद्योगों की भांति बिना किसी सीमा के विक्रय कर की सुविधा उपलब्ध होगी।

7.3 प्रदेश के पांच विकसित जिलों क्रमशः इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, दुर्ग तथा ग्वालियर में भी इलैक्ट्रानिक्स, टेलीकम्यूनिकेशंस तथा फूड प्रोसेसिंग उद्योगों को अब वे सभी सुविधायें मिलेंगी, जो इन उद्योगों को श्रेणी "ए" के पिछड़े जिलों में उपलब्ध हैं।

7.4 इलैक्ट्रानिक्स तथा टेलीकम्यूनिकेशंस उद्योगों पर विक्रय कर की वर्तमान दरों को और युक्तिसंगत बनाया जावेगा तथा उन्हें कुछ रियायतें देने पर भी विचार किया जावेगा।

7.5 पात्र उद्योगों को विक्रय कर मुक्ति/आस्थगन की पुरानी योजना अथवा नई योजना, किसी एक के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का विकल्प होगा। एक बार विकल्प देने के उपरांत उसे बदला नहीं जा सकेगा। वर्तमान में पात्र इकाइयां जो विक्रय कर मुक्ति/आस्थगन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रही हैं, उन्हें भी विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से निश्चित अवधि में पात्रता की शेष बची अवधि के लिये नई अथवा पुरानी योजना के अंतर्गत लाभ लेने का विकल्प दिया जायेगा।

7.6 नये पात्र उद्योगों को घोषित विक्रय कर से छूट/आस्थगन की सुविधा उनके उत्पादन प्रारंभ करने के बाद शीघ्र उपलब्ध कराने की दृष्टि से उद्यमियों द्वारा आवेदन करने के दिनांक से 30 दिवस की अवधि में लघु उद्योगों को महा प्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र तथा बड़े एवं मध्यम उद्योगों को परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी द्वारा अस्थायी प्रमाण पत्र जारी किये जावेंगे, जिनके आधार पर उपरोक्त सुविधा मिलना प्रारंभ हो जावेगी।

7.7 ऐसी औद्योगिक इकाइयां जो विक्रय कर मुक्ति/आस्थगन की सुविधा प्राप्त औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्पादित ऐसा माल क्रय करती हैं, जो उनके लिये कच्चा माल होता है, उन्हें अब ऐसे क्रय पर क्रय कर नहीं देना होगा।

7.8 वर्तमान में प्रत्येक तहसील में केवल प्रथम एक इकाई को ही पायनियर स्टेट्स की पात्रता है। अब तहसील का प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है और एक ही जिले में कई उद्योगों को पायनियर स्टेट्स का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

7.9 ऐसे उद्योग, जो पात्रता अवधि में नवीन पदार्थ का उत्पादन (डाईवर्सिफिकेशन) करते हैं, को इस परिवर्तन के लिये भी पात्रता अवधि की शेष अवधि में विक्रय कर मुक्ति/आस्थगन की सुविधा मिलेगी।

7.10 संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों की तरह असिस्टेड एवं निजी सेक्टर के उद्योगों में भी यदि अप्रवासी भारतीय सहयोगी प्रवर्तक द्वारा अपेक्षित अंश पूंजी की 40% पूंजी लायी जाती है, तो उन्हें भी विक्रय कर मुक्ति/आस्थगन की 11 वर्ष की सुविधा प्राप्त होगी, बशर्ते कि उद्योग में पूंजी निवेश रुपये 100 लाख या अधिक हो।

7.11 उद्योगों द्वारा मशीनरी तथा टूल्स आदि पर प्रथम पूर्ण दर से विक्रय कर देने तथा बाद में सेट-आफ का लाभ लेने की प्रथा को समाप्त किया जावेगा। प्रारंभ में ही उन्हें अब रियायती दर से घोषणा पत्र के साथ विक्रय कर का भुगतान करना होगा।

7.12 मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा राज्य शासन के विभागों को माल प्रदाय करने पर, सम्बंधित विभाग से "डी" फार्म प्रस्तुत करने अथवा निगम से प्रमाण पत्र प्रस्तुत होने पर, केवल 4% की दर से विक्रय कर लिया जावेगा।

7.13 पॉवर लूम उद्योग द्वारा निर्मित कपड़ा यदि शहर के बाहर प्रोसेसिंग के लिये भेजा जाता है तो उस पर "मल्टी पाईंट" प्रवेश कर नहीं लगेगा।

7.14 खादी एवं ग्रामोद्योगों बोर्ड के अन्तर्गत आने वाली इकाइयों को बोर्ड से सहायता प्राप्त करने के लिये किये जाने वाले अनुबंधों पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क से छूट दी जायेगी।

7.15 मध्यप्रदेश वित्त निगम से रुपये 7.5 लाख तक की वित्तीय सुविधा प्राप्त करने वाली लघु औद्योगिक इकाइयों को बंधकनामे पर लगने वाली स्टेम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क से छूट रहेगी। इससे बड़ी संख्या में लघु तथा कुटीर उद्योग लाभान्वित होंगे।

उद्योगों को विद्युत् प्रदायः

8.1 प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता को बढ़ाने की दृष्टि से उद्योगपतियों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिये "पॉवर प्लांट्स" लगाने तथा संबंधित नीति को ध्यान में रखते हुये सहकारी व निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन करने को प्रोत्साहित किया जावेगा।

8.2 150 हॉर्स पॉवर तक विद्युत प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाइयों को अब विद्युत शुल्क 3 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से देना होगा।

8.3 विद्युत मण्डल का एक सम्पर्क अधिकारी बृहत् एवं मध्यम उद्योगों की विद्युत सम्बंधी कठिनाईयों के हल के लिये औद्योगिक सहायता केन्द्र, भोपाल में प्रति सप्ताह उपलब्ध रहेगा। इसी प्रकार जिला उद्योग केन्द्रों में भी हर माह में एक निश्चित दिनांक को विद्युत मण्डल के संभागीय यंत्री, उद्यमियों की कठिनाईयों को हल करने के लिये उपलब्ध होंगे।

8.4 उद्योगपतियों की विद्युत प्रदाय सम्बंधी शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिये मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में सर्किल स्तर पर समिति गठित की जावेगी।

8.5 औद्योगिक विकास केन्द्रों / औद्योगिक क्षेत्रों / औद्योगिक संस्थानों में प्रथम उद्यमी को विद्युत संचार लाईनों को बिछाने एवं ट्रांसफार्मर आदि लगाने का पूरा वित्तीय भार नहीं उठाना पड़े इसके लिये शीघ्र ही ऊर्जा विभाग तथा उद्योग विभाग के प्रतिनिधियों की एक समिति द्वारा मापदण्ड निर्धारित किये जावेंगे। विद्युत संचार लाईनों को बिछाने एवं ट्रांसफार्मर आदि लगाने पर आने वाले व्यय की 50% राशि सम्बंधित औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल को ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जावेगी जो 5 वर्ष की अवधि में मण्डल द्वारा मय ब्याज के वापस की जावेगी।

8.6 उद्योगों के विद्युत सम्बंधी मामलों को त्वरित गति से निपटाने की दृष्टि से, मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा नीचे स्तर पर भी अधिकारों का अधिक से अधिक विकेन्द्रीकरण किया जावेगा।

8.7 उद्योगपतियों को विद्युत की अनुबंध की अवधि में दो बार कांट्रेक्ट डिमांड में कमी करने की सुविधा दी जावेगी।

8.8 विद्युत प्रदाय के अनुबंध को 5 वर्ष बाद समाप्त करने की वर्तमान प्रथा को बदलकर विद्युत प्रदाय आगे भी जारी रखा जावेगा और अनुबंध की समाप्ति किसी भी पार्टी द्वारा किसी भी समय 3 माह का नोटिस देकर की जा सकेगी।

8.9 औद्यगिक उपभोक्ताओं को अब सिक्यूरिटी डिपाजिट की 50% राशि अनुबंध करते समय तथा शेष राशि विद्युत प्रदाय होने के समय तक विद्युत मण्डल को भुगतान करने की सुविधा होगी।

9. पर्यावरण सम्बन्धी प्रक्रियाओं का सरलीकरण:

9.1 जल एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियमों के अंतर्गत अब कुछ गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को म. प्र. प्रदूषण निवारण मण्डल से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। मण्डल द्वारा कुछ मापदण्ड निर्धारित किये जावेंगे और केवल उन्हीं उद्योगों, जो इन मापदण्डों की सीमा के बाहर हों, को उक्त अधिनियमों के अंतर्गत अनुमति के लिये आवेदन करना होगा। प्रारंभ में 50 उद्योगों को उक्त अधिनियमों के अंतर्गत पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

9.2 मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल में जल एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियमों के अंतर्गत उद्योगपतियों को अनुमति/सहमति देने के लिये अधिकारों का विकेन्द्रीकरण किया जावेगा।

9.3 लघु उद्योगों से मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल एवं एप्को द्वारा लिये जाने वाले शुल्क को और युक्तिसंगत बनाया जावेगा।

9.4 भारत सरकार द्वारा निर्धारित 20 उद्योग समूहों जिन्हें पर्यावरण सम्बन्धी स्थल अनुमोदन प्राप्त करना होता है के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों की सूची को राज्य शासन द्वारा युक्तिसंगत किया गया है जिसके फलस्वरूप कुछ लघु उद्योगों को स्थल अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा। भविष्य में भी पर्यावरण सम्बन्धी अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जायेगा।

9.5 पर्यावरण सम्बंधी अनुमति के लिये आवश्यक जानकारी एवं निर्धारित प्रपत्र आदि पर्याप्त मात्रा में औद्योगिक सहायता केन्द्र / जिला उद्योग केन्द्रों / संभागीय उद्योग कार्यालयों एवं उद्योग संगठनों के पास उपलब्ध रहेंगे।

9.6 मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल द्वारा प्रारंभ में ही एक वर्ष के स्थान पर अधिक लम्बी अवधि के लिये सहमति दी जावेगी।

9.7 उद्योगों की पर्यावरण सम्बंधी समस्याओं को सही रूप में प्रस्तुत करने तथा उनका निदान कराने की दृष्टि से मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल के संचालक मण्डल में उद्योग आयुक्त तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्यगिक विकास निगम को भी सदस्य रखा जावेगा।

9.8 गैर प्रदूषणकारी उद्योगों के लिये औद्यगिक विकास केन्द्रों में पृथक से प्रक्षेत्र बनाये जावेंगे और उनमें लगने वाले उद्योगों को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों से मुक्त रखा जावेगा।

9.9 एप्को द्वारा कंसल्टेंट्स का चयन कर उनकी एक अनुमोदित सूची रखी जावेगी जिसका उपयोग पर्यावरण सम्बंधी मामलों में उद्योगपति समय-समय पर कर सकेंगे।

9.10 राज्य की वित्तीय संस्थाओं द्वारा अब केवल उन्हीं उद्योगों के प्रकरणों में पर्यावरण सम्बंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त लगायी जावेगी जिनके लिये यह शर्त भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य रखी गई हो।

10. वित्तीय संस्थाओं से उद्योगों को वित्तीय सहायता की उपलब्धि को सरल बनाना:

10.1 प्रदेश की वित्तीय संस्थायें मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम तथा मध्यप्रदेश वित्त निगम उन्हें प्राप्त वित्तीय सहायता सम्बंधी पूर्ण आवेदनों पर अधिकतम 3 माह की अवधि में निर्णय लेंगी। ऐसे आवेदनों का परीक्षण करते समय आवेदक द्वारा बताये गये बैंकों को भी सहयोजित किया जावेगा जिससे कि कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं का परीक्षण भी साथ-साथ हो सके और बैंकों द्वारा टर्म लोन के साथ ही कार्यशील पूंजी ऋण की भी सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदाय की जा सके।

10.2 रुपये 7.5 लाख तक के ऋणों के लिये मध्यप्रदेश वित्त निगम द्वारा और अधिक सरल आवेदन पत्र निर्धारित किये जावेंगे। निगम द्वारा जहां आवश्यक होगा, उसकी और नयी शाखायें तथा क्षेत्रीय कार्यालय खोले जावेंगे। वित्त निगम द्वारा ऋणों तथा अनुदानों की स्वीकृति तथा वितरण के अधिकारों का विभिन्न स्तरों पर विकेन्द्रीकरण किया जावेगा जिससे कि उद्योगपतियों को हर मामले में निगम के मुख्यालय तक न जाना पड़े।

10.3 मध्यप्रदेश वित्त निगम द्वारा लघु उद्यमियों को मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करने के लिये एक पृथक से प्रकोष्ठ बनाया जावेगा।

11. उद्योगों के विकास से सम्बन्धित प्रशासकीय तंत्र को और अधिक उत्तरदायी एवं सक्रिय बनाना:

11.1 लघु उद्योगों को एक ही छत के नीचे यथा संभव सभी सहायता जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा उपलब्ध करायी जावेगी। जिला उद्योग केन्द्रों में सूचना केन्द्र स्थापित किये जावेंगे जो उद्योगपतियों को विभिन्न प्रकार की जानकारी उपलब्ध करायेंगे। अन्य विभागों/संस्थानों से सम्बंधित उद्योगों को लगने वाले फार्मस् आदि भी जिला उद्योग केन्द्रों में उपलब्ध रहेंगे।

11.2 उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये और अधिक प्रशिक्षण व्यवस्था की जावेगी जिससे औद्योगिक विकास के लिये उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आ सके।

11.3 जिला स्तर पर जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक उद्योग सम्वर्धन एवं सहायता समिति गठित की जावेगी जो औद्योगीकरण से सम्बंधित विभिन्न विभागों की गतिविधियों में समन्वय करेगी तथा उद्यमियों की कठिनाईयों को हल करेगी। इस समिति की बैठक प्रत्येक माह होगी। उद्यमियों को उनके प्रकरण इस समिति के समक्ष रखने का अवसर दिया जावेगा।

11.4 लघु उद्योगों की समस्याओं को हल करने के लिये राज्य स्तर पर उद्योग आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जावेगी जिसकी नियमित बैठकें होंगी। लघु उद्यमियों को उनके प्रकरण इस समिति के समक्ष रखने का अवसर दिया जावेगा।

11.5 लघु उद्योगों की ओर विशेष ध्यान देने हेतु उद्योग संचालनालय में संचालक (लघु उद्योग) का एक पद स्थापित किया जावेगा।

11.6 उद्योगपतियों के प्रकरणों में शीघ्र निर्णय लेने तथा उन्हें शीघ्र वित्तीय सुविधायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में विभिन्न स्तरों पर अधिकारों का और अधिक विकेन्द्रीकरण किया जावेगा।

11.7 वर्तमान में जिला तथा राज्य स्तर पर औद्योगिक सुविधाओं की स्वीकृति से सम्बन्धित गठित विभिन्न समितियों को समाप्त कर दोनों स्तरों पर यथा संभव केवल एक-एक समिति गठित की जावेगी जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के अनुदानों तथा सुविधाओं के प्रकरणों में निर्णय लिये जावेंगे। जिला स्तरीय समिति लघु उद्योगों के अधिकांश प्रकरणों को तथा राज्य स्तरीय समिति वृहत् एवं मध्यम उद्योगों के अधिकांश प्रकरणों में निणय लेने के लिये अधिकृत होगी।

11.8 सागर, रीवा, बिलासपुर तथा उज्जैन में संभाग स्तरीय नियमित उद्योग कार्यालय स्थापित किये जावेंगे। इन कार्यालयों के प्रमुख संयुक्त संचालक स्तर के अधिकारी होंगे।

11.9 औद्योगीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिलों में ग्रामीण औद्योगीकरण के विकास के लिये अतिरिक्त जिला उद्योग केन्द्र बनाने पर विचार किया जावेगा।

11.10 ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिये प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर एक उद्योग निरीक्षक (विस्तार) की पद स्थापना की जावेगी जिससे कि इच्छुक उद्यमियों को स्थानीय रूप से सभी जानकारियां एवं सहयोग प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त जिला मुख्यालय से एक प्रबंधक भी निश्चित दिनांकों को तहसील तथा विकास खण्डों पर उद्यमियों से मुलाकात कर उन्हें मार्गदर्शन देगा।

11.11 यह सुनिश्चित करने के लिये कि जिला उद्योग केन्द्रों तथा संभागीय कार्यालयों का कार्य ठीक से चल रहा है तथा उद्यमियों को वांछित सुविधायें एवं सहायता यथासमय प्राप्त हो रही हैं, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जिला उद्योग केन्द्रों तथा संभागीय कार्यालयों का समय-समय पर निरीक्षण किया जावेगा और निरीक्षण के समय उद्योगपतियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का स्थल पर ही निराकरण करने का प्रयास किया जावेगा।

11.12 उद्योगों की सहायता से सम्बंधित विभिन्न नियमों, अधिनियमों तथा विभागीय प्रक्रियाओं की पुस्तिका तैयार की जाकर, सभी कार्यालयों में रखी जावेगी जिससे उनके सम्बंध में कोई समस्या उत्पन्न न हो। इस पुस्तिका को समय-समय पर संशोधित कर अद्यतन रखा जावेगा।

11.13 मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उद्योग सम्वर्धन समिति को और अधिक प्रभावशाली बनाया जावेगा।

11.14 उद्योगों के सम्बंध में समय-समय पर महत्वपूर्ण निर्णय तीव्र गति से लेने के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्री परिषद् की एक समिति गठित की जावेगी।

11.15 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न निगमों के कार्यकलापों को और अधिक युक्तिसंगत बनाया जावेगा।

11.16 प्रदेश में संयुक्त क्षेत्र के नये उद्योगों को लगाने का दायित्व अब मुख्यतः मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम की रहेगा। केवल कुछ विशिष्ट संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, जैसे इलैक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में, विशेषज्ञ निगमों द्वारा स्थापित किये जा सकेंगे। मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम अब मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विकास एवं संचालन करेगा।

11.17 उद्योगपतियों के मार्गदर्शनार्थ नये संभावित उद्योगों की जानकारी तैया कर मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम तथा मध्यप्रदेश वित्त निगम द्वारा रखी जावेगी। राज्य शासन उसकी संस्थाओं के माध्यम से उद्यमियों को भारत शासन से अनुज्ञा पत्र तथा डी.जी.टी.डी. पंजीयन आदि प्राप्त करने एवं उनसे सम्बंधित समस्याओं का निराकरण करने में समय-समय पर सहायता प्रदान करेगा।

11.18 केन्द्रीय सरकार की समग्र औद्योगिक नीति को एवं अन्य सम्बंधित मुद्दों को ध्यान में रखते हुये राज्य शासन द्वारा उपयुक्त समय पर स्वयं की दीर्घकालीन औद्योगिक नीति बनायी जावेगी।

11.19 उद्योगों के क्षेत्र में हो रही प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करने तथा औद्योगीकरण को और तीव्र करने की दिशा में उपाय सुझाने के लिये मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय उद्योग तथा खनिज परामर्शदात्री बोर्ड गठित किया जावेगा।

11.20 विभिन्न श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों के उत्कृष्ट कार्य के लिये राज्य स्तरीय पुरूस्कार देने की योजना बनायी जावेगी।

राज्य शासन का यह निरंतर प्रयास होगा कि हमारा प्रदेश पूंजी निवेश के लिये अधिक से अधिक आकर्षित बने। इसकी प्राप्ति के लिये आगे भी समय-समय पर आवश्यक निर्णय लिये जावेंगे।